न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या 38/2018

रज्जु दिनांक : 23/04/2018

निर्णय दिनांक : 13/11/2019

1. जन्नत पत्नी मुन्ने खां उर्फ मुनीर खां, जाति देशवाली मुसलमान निवासी नोल्या, तहसील दूदू, जिला जयपुर राज0।
2. मौहम्मद हुसैन पुत्र मुन्ने खां उर्फ मुनीर खां, जाति देशवाली मुसलमान निवासी नोल्या, तहसील दूदू, जिला जयपुर राज0।
3. सुल्तान पुत्र मुन्ने खां उर्फ मुनीर खां, जाति देशवाली मुसलमान निवासी नोल्या, तहसील दूदू, जिला जयपुर राज0।

—— वादीगण

बनाम

1. रूकसाना पत्नी इस्लामुद्दीन जाति देशवाली, निवासी नोल्या हाल निवासी कानपुरा, तहसील अजमेर, जिला अजमेर, राज0।
2. रहीस मौहम्मद पुत्र रोशन मौहम्मद नाबालिग जरिये संरक्षक माता रूकसाना पत्नी इस्लामुद्दीन, जाति देशवाली, निवासी नोल्या हाल निवासी कानपुरा, तहसील अजमेर, जिला अजमेर, राज0।
3. रूकसार पुत्री रोशन मौहम्मद, नाबालिग जरिये संरक्षक माता रूकसाना पत्नी इस्लामुद्दीन, जाति देशवाली, निवासी नोल्या हाल निवासी कानपुरा, तहसील अजमेर, जिला अजमेर, राज0।
4. बीला पुत्री मुन्ने खां उर्फ मुनीर पत्नी हकीम, जाति मुसलमान, निवासी बल्लू खां की ढाणी, मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
5. बानो पुत्री मुन्ने खां उर्फ मुनीर पत्नी रफीक, जाति मुसलमान, निवासी बल्लू खां की ढाणी, मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
6. छोटी पुत्री मुन्ने खां उर्फ मुनीर पत्नी सलीम, जाति मुसलमान, निवासी मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
7. शाखा प्रबन्धक महोदय, शाखा यूको बैंक दूदू जिला जयपुर, राज0।
8. सबरजिस्ट्रार, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
9. तहसीलदार, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

—— प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – श्री भंवरलाल जैन
श्री विनोद कुमार जैन
श्री नानूराम प्रजापत
विद्वान अधिवक्ता वादीगण

श्री इमरान खान एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 4 ल. 6

प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3 के विरुद्ध
कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी।

प्रतिवादी संख्या 7 फोरमल पक्षकार हैं।
प्रतिवादी संख्या 8 व 9 की ओर से पैरोकार उपस्थित।
निर्णय दिनांक 13/11/2019

– निर्णय –

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद–पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के आराजी खाता संख्या 7 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 352, 390, 391, 393, 394, 395, 425 कुल किता 31 कुल रकबा 16.2000 हैक्टेयर में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के पिता/पति/ससुर/दादा के नाम 1/7 हिस्सा, खाता संख्या 30 के आराजी खसरा नम्बर 335 के आराजी खसरा नम्बर 0.0600 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.0600 हैक्टेयर में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के पिता/पति/ससुर/दादा के नाम हिस्सा 1/4, खाता संख्या 56 के आराजी खसरा नम्बर 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403 कुल किता 08 कुल रकबा 3.6400 हैक्टेयर में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के पिता/पति/ससुर/दादा के नाम हिस्सा 1/5, खाता सख्या 57 के आराजी खसरा नम्बर 234, 234/884, 236, 334, 341, 342, 343, 350, 362, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 709, 710, 711, 712, 713, 782 कुल किता 25 कुल रकबा 13.4400 हैक्टेयर वाके ग्राम नोल्या, तहसील दूदू, जिला जयपुर में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के पिता/पति/ससुर/दादा के नाम हिस्सा सम्पूर्ण खातेदारी मे दर्ज चला आ रहा हैं, जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 अपने पति/पिता मुन्ने खा उर्फ मुनीर खां पुत्र खुदाबक्स व उनके पिता खुदाबक्स पुत्र कमाल खा के नाम दर्ज हिस्से मे से

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

वादीगण का संयुक्त रूप से 3/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 का 1/6 हिस्सा के अनुसार काबिज काश्त एवं खातेदार काश्तकार हैं। पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है। वादीगण के पुत्रों/भाईयों रोशन मौहम्मद व छोटु खां का स्वर्गवास हो चुका है, जिसमें छोटु नाऔलाद फौत हुआ है एवं रोशन मौहम्मद के एक पुत्र रहीस मौहम्मद प्रतिवादी संख्या 2 व एक पुत्री रूकसार प्रतिवादी संख्या 3 हुये थे। रोशन मौहम्मद की पत्नी रूकसाना प्रतिवादी संख्या 1 उसके पति रोशन मौहम्मद के स्वर्गवास के कुछ समय पश्चात ही नाता विवाह करने हेतु वादीगण के पति/पिता मुन्ने खां उर्फ मुनीर खां से कहा जिस पर मुनीर खां ने वादीगण अपने परिवार के व गांव मौजिज व्यक्तियों तथा रिश्तेदारों को इकट्ठा किया और जिसके साथ वह नाता विवाह करना चाहती थी, इस्लामुद्दीन को भी बुलाया और तब वादीगण के पति/पिता व वादीगण ने गांव के रिश्तेदारों ने व मौजूद व्यक्तियों ने रोशनके बच्चों को वादीगण के पास छोडकर जाने को कहा परन्तु रूख्साना रोशन के बच्चों को अपने साथ ले जाने के लिये कहा तब वादीगण के पिता/पति ने व गांव व रिश्तेदारों के मौजूद व्यक्तियों ने कहा कि अगर रूख्साना रोशन के बच्चों को साथ लेकर जाती है, तो उनका वादीगण के पिता/पति मुनीर खां की सम्पति में कोई हक व अधिकार नही रहेगा। जिस पर रूकसाना व उससे नाता विवाह करने वाला इस्लामुद्दीन ने वादीगण के पति/पिता व गांव तथा रिश्तेदारों की मौजिज व्यक्तियों के उक्त कथन की रोशन के बच्चों को साथ ले जाने पर उनका मुनीर खां की सम्पति में कोई हक व अधिकार नही रहेगा की बात सहमत हो गये एवं वादीगण के पति/पिता ने उक्त सहमति के आधार पर ही उक्त रूख्साना को नाता विवाह करने एवं बच्चों को साथ लेकर जाने की सहमति दी, जिस पर रूख्साना प्रतिवादी संख्या 1 अपने दोनों बच्चों प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को साथ लेकर सन् 2004 से इस्लामुद्दीन के पास ग्राम कानपुरा चली गयी तथा वही रहकर जीवनयापन कर रही है तथा इस्लामुद्दीन की चल–अचल सम्पति सम्पति का ही उपयोग उपभोग कर रहे है एवं उपरोक्त आराजीयात पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा हैं। इस प्रकार रोशन मौहम्मद की पत्नी प्रतिवादी संख्या 1 अपने पुत्र–पुत्री प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को साथ लेकर कानपुरा जाने से एवं उनका इस्लामुद्दीन की सम्पति का उपयेाग उपभोग करने एवं इस्लामुद्दीन की सम्पति में ही अधिकार होने से एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपनी स्वेच्छापूर्वक रोशन खां की सम्पति के अधिकार को त्याग करने से विवादित आराजीयात मे प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3 का किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा नही बनता है इसी प्रकार

उपखण्ड अधिकारी
. दूदू

Scanned by CamScanner

छोटु जो नाऔलाद फौत हो गया था इसलिये उसके हिस्से का भी वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 में निहित हो गया है, इसलिये कानूनन विवादित आराजीयात में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 के पति/पिता/ससुर/दादा मुन्ने खा उर्फ मुनीर खां पुत्र खुदाबक्स व खुदाबक्स पुत्र कमाल खा के नाम दर्ज हिस्से मे से वादीगण का 3/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/6 हिस्सा, पतिवादी संख्या 5 का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 का 1/6 हिस्सा के अनुसार काबिज काश्त है तथा इसी अनुसार घोषणा कराने के अधिकारी है। पक्षकारान के पति/पिता/ससुर/दादा मुन्ने खा उर्फ मुनीर खां का इंतकाल दिनांक 12/01/2017 को हो गया है, जिसके सभी सामाजिक क्रियाकर्म बाहरवां, चालीसवां, फातीहा एवं अन्य सभी क्रियाकर्म वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 ने ही सम्पादित किये है। वर्तमान में जमीनों के भावों में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 की नियत में फितुर उत्पन्न हो गया और वह भूमाफियाओं के बहकावें में आकर अपने उक्त कथन जो उसने मुनीर खां की सम्पति में कोई हक व हिस्सा नही होने बाबत किया था, से मुकर रही है एवं राजस्व कारकुनानों से साजकर रोशन मौहम्मद का जो हिस्सा बनता था को अपने नाम लगवाने व उक्त आराजीयात पर कब्जा करने पर आमादा है, जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नही है, प्रतिवादी संख्या 1 आज भी अपने द्वारा किये गये मौखिक वचन से बाध्य व पाबन्द है। दिनांक 20/04/2018 को जब वादीगण विवादित आराजीयात पर सार–संभाल करने गये तो वहां पर प्रतिवादी संख्या 1 दीगर व्यक्तियों को वादग्रस्त आराजी बात रही थी, जब वादीगण ने इस बाबत प्रतिवादी संख्या 1 से पूछा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण को धमकी दी कि विवादित आराजीयात जो मुन्ने खां उर्फ मुनीर खां के नाम से दर्ज है, जिसका इंतकाल हो चुका है, अब उसकी विरासत का नामान्तरकरण खुलवाकर स्व0 रोशन खां का जो उक्त जमीन में हिस्सा बनता था, जो मैने छोड दिया था, का नामान्तरकरण खुलवाकर दीगर व्यक्तियों को शीघ्र ही बैचान करेंगे, इसलिये वादीगण को अपने खातेदारी अधिकारों की रक्षार्थ यह प्रार्थना–पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया जाना आवश्यक हुआ हैं।

वादीगण ने वाद–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही है कि "वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जावें कि वाद–पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजी जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 के पति/पिता मुन्ने खां उर्फ मुनीर खां पुत्र खुदाबक्स व उनके पिता खुदाबक्स पुत्र कमाल खां के नाम दर्ज हैं, जिसमें

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

वादीगण का संयुक्त रूप से 3/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 1/6 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि विवादित आराजी वर्णित वाद–पत्र के पैरा संख्या वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी उत्पन्न न स्वंय करें न अन्य से करावें न कब्जे काश्त से बेदखल करावें तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें तथा किसी प्रकार से हस्तान्तरण नही करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 29/10/2018 को प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3 बावजूद तामिल उपस्थित नही होने से उसके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी। दिनांक 05/11/2018 को प्रतिवादी संख्या 4 ल. 6 ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। जो बाद जांच तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 ल. 9 की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता पक्षकारान साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत मूल वाद, दस्तावेजात नकल सत्य प्रतिलिपी जमाबन्दी खाता संख्या 7, 30, 56, 57 वाके ग्राम नोल्या का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि मुताबिक जमाबन्दी के अनुसार विवादित आराजीयात वर्तमान में खाता संख्या 7 मुन्ने खां उर्फ मुनीर खां, खाता संख्या 30 खुदाबक्स पुत्र कमाल खां, खाता संख्या 56 मुनीर खां पुत्र खुदाबक्स, खाता संख्या 57 मुन्नीर खां पुत्र खुदाबक्स के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादीगण द्वारा प्रस्तुत सिजरा अनुसार उक्त खातेदारान मुनीर खां व खुदाबक्स पक्षकारान के पूर्वज हैं। वादीगण ने सिजरा दर्शाकर विवादित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3 का कोई हिस्सा व सम्बन्ध सरोकार नही होना दर्शित कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 ल. 6 जो कि मुनीर खां व खुदाबक्स के वारिशान है के नाम से आराजी दर्ज करवाना चाहा हैं, चूंकि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 वादीगण के कथनानुसार स्व0 मुन्ने खां उर्फ मुनीर खां के विधिक वारिशान है एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 जो कि स्व0 रोशन मौहम्मद के वारिशान है, बकौल वादीगण रोशन मौहम्मद के स्वर्गवास के पश्चात उसकी पत्नी प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

संख्या 1 ने अपने पुत्रों प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को साथ ले जाकर अन्यत्र नाता विवाह कर लिया है एवं वही रह रही है, इसलिये उसका विवादित आराजी में कोई हक व हिस्सा नही है, इस सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद तामिल न तो किसी प्रकार से न्यायालय के समक्ष उपस्थित आयी न ही किसी प्रकार से कोई जवाब आपत्ति पेश की है, इसलिये यहां यह माना जा सकता है कि बावजूद तामिल प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही होकर वादीगण के वाद में मौन स्वीकृति दी हैं, यदि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को किसी प्रकार की आपत्ति होती तो वह न्यायालय के समक्ष अपनी अवश्य पेश करती। वही इस सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 4 ल. 6 ने राजीनामा पेश कर वादीगण के वाद को स्वीकार किया है एवं राजीनामा अनुसार दावा डिकी किये जाने का निवेदन किया है, इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन उपरान्त वादीगण का वाद डिकी किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादीगण का वाद–पत्र बरूये राजीनामा डिकी किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात खाता संख्या 7 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 352, 390, 391, 393, 394, 395, 425 कुल किता 31 कुल रकबा 16.2000 हैक्टेयर, खाता संख्या 30 के आराजी खसरा नम्बर 335 के आराजी खसरा नम्बर 0.0600 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खाता संख्या 56 के आराजी खसरा नम्बर 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403 कुल किता 08 कुल रकबा 3.6400 हैक्टेयर, खाता सख्या 57 के आराजी खसरा नम्बर 234, 234/884, 236, 334, 341, 342, 343, 350, 362, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 709, 710, 711, 712, 713, 782 कुल किता 25 कुल रकबा 13.4400 हैक्टेयर वाके ग्राम नोल्या, तहसील दूदू, जिला जयपुर में स्व0 खुदाबक्स व मुन्ने खां उर्फ मुनीर खां के नाम दर्ज भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4 ल. 6 प्रत्येक को 1/6–1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। पर्चा डिकी जारी हो। उक्तानुसार तहसीलदार दूदू को निर्णय की पालना हेतु लिखा जावें कि स्व0 खुदाबक्स व मुन्ने खां उर्फ मुनीर खां के विधिक वारिशान की जांच कर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ल. 6 के अलावा अन्य कोई विधिक वारिशान न हो तो निर्णय की पालना करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13/11/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अदालत न्यायालय उप खण्ड अधिकारी 33 मुकाम

श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत (R.A.S)

1. जन्नत पत्नि मुन्ने खां 2 मुन्नीरखां बनाम 1. रुकसाना पत्नि इस्लामुद्दीन देववाली कि गोपा
2. मोहम्मद हुसैन पुत्र मुन्ने खां वगा वास्ते ओकण व.पाण्डिके 2. रईस मोहम्मद S/o रोशन मोहम्मद
3. सुल्तान पुत्र मुन्ने खां मुकदमा नं. 38/2018 3. रुकसार पुत्री रोशन मोहम्मद व

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री भवरलाल जैन एडo, श्री विनोद कुमार जैन एडo अन्य 1 लoए

व हाजिरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री इमरान खान एडo

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः वादीगण का वाद-पत्र अनुसार राजीनामा डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात खाता सं० 7 के अनुसार आराजी रु.नं. 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 352, 390, 391, 393, 394, 395, 425 कुल किस्म 31 कुल रकबा 16.2000 हैo खाता सं० 30 के अराजी रकबा नं. 335 के आ० खण्ड 0.0600 हैo कुल किस्म 01 कुल रकबा 0.0600 हैo खाता सं० 56 के आ० खण्ड नं. 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403 कुल किस्म 08 कुल रकबा 3.6400 हैo खाता नं० 57 के

मुतवल्लिग वारिस

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद तैसरिह की जाती करार

तारीख अदायगी तक 13/11/2019 रात को

बसत्ता मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के अग्रिम सरोज जारी की गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी

ओहदा दूदू

मुहर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			वास्ते इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

-- आराजी ख० न० 234, 234/884, 236, 334, 341, 342, 343, 350, 362, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 709, 710, 711, 712, 713, 782, कुल किता-25 कुल रकबा 13.4400 हे० वाके ग्राम गोल्या, तहसील दूदू जिला जयपुर में ख० खुदाबक्स व गुन्ने खां उर्फ मुनी खां के नामदर्ज भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी क्र० 4 व 6 प्रत्येक को 1/6-1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner